

फैक्स

बिहार सरकार  
विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,  
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,  
वैशाली, हाजीपुर।

पटना, दिनांक 4/9/15

विषय:- वैशाली, हाजीपुर जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-661/विधि दिनांक-30.03.2013 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को वैशाली, हाजीपुर जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित की कृपा की है :-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	847/98
2.	श्री राजकुमार सिंह	1921/98
3.	श्री ख्वाजा हसन खॉं	951/93
4.	श्री रामनाथ महतो	1622/98
5.	श्री श्याम बाबू राय	98/92
6.	श्री रमेश कुमार	5640/92
7.	श्री रवि शंकर कुमार	2069/98
8.	श्री विनोद राम	1455/97
9.	श्री शिवशंकर प्रसाद सिन्हा	926/86
10.	श्रीमती बीबी मलका	1829/04
11.	श्री राम नरेश भक्त	738/81
12.	श्रीमती वीणा कुमारी सिन्हा	257/91
13.	श्री मुन्शीलाल महतो	95/96
14.	श्री राम चन्द्र चौधरी	1909/69
15.	श्री बाल लखेन्द्र राय	684/76
16.	श्री अनिल कुमार झा	5029/95
17.	श्री शब्द कुमार	1270/97
18.	श्री खालिद लतीफ	7468/99

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा अन्य पदों पर नियुक्त होकर कार्य करने पर भी एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।


4. इस शर्त के साथ की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी से अपर लोक अभियोजक के सभी शेष 17 पदों पर में सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से क्रमशः क्रमांक-18 पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

विश्वासभाजन


(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 5643/जे०, पटना, दिनांक:- 4/9/15

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 5643/जे०, पटना, दिनांक:- 4/9/15

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव, बिहार।